

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010

संख्या-45/08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024

लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2024

शुद्धि-पत्र-04

आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के 2819 पद (सामान्य चयन) व अवर अभियंता (सिविल) के 28 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु दिनांक 07-03-2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

सूच्य है कि आयोग की सूचना संख्या-32/08/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 16-03-2024 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 368 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 801 पद (विशेष चयन) = 1169 पदों एवं सूचना संख्या-42/08/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 20-06-2024 द्वारा विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 354 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 06 पद (विशेष चयन) = 360 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए संशोधित कुल 4376 [3541 (सामान्य चयन) + 835 (विशेष चयन)] पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।

सूच्य है कि आयोग के शुद्धि-पत्र संख्या-39/08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-06-2024 द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को दिनांक 28-06-2024 तक विस्तारित किया गया है।

सूच्य है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/ बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभाग के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 198 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 38 पद (विशेष चयन) = 236 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4612 [3739 (सामान्य चयन) + 873 (विशेष चयन)] पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।

1- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण					कुल पद	अभ्युक्ति स्थायी/ अस्थायी
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)		
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड पे- 4200	81	42	02	54	19	198	स्थायी

(Signature)

B

X

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैंड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण					अभ्युक्ति स्थायी/ अस्थायी	
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)		कुल पद
02	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (विशेष चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड पे- 4200	-	34	00	04	-	38	स्थायी
कुल पद				81	76	02	58	19	236	

2- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष शैतिज आरक्षण का विवरण-

शैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता:	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता:	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	03	--	04 (H.H.)	03 (O.A., O.L., B.L.)	--	--	09	39	03
02	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	00	--	01 (H.H.)	00 (O.A., O.L., B.L.)	--	--	01	07	00
कुल पद			03	---	05	03	---	---	10	46	03

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)

*Divya*

✓

✗



- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)

### 3- अर्हतायें-

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	<p>अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार-</p> <p>No person shall be recruited to the Service unless he-</p> <p>(i) Has obtained a Diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any Board; and</p> <p>(ii) Has working knowledge of Hindi.</p> <p>नोट:- समकक्ष अर्हता के संबंध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग) 101-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ- 226001 की सूचना संख्या-974/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 के साथ संलग्न APPENDIX-Q में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न है।</p>

### 4- आयु-

क्रं.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	<p>उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 यथासंशोधित में विहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, उसके अगले वर्ष की पहली जनवरी को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:</p> <p>परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।</p>

*Divop*

*9*

*X*

## 5- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 यथासंशोधित एवं आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग), लखनऊ की सूचना संख्या-974/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 तथा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग), लखनऊ का पत्र संख्या-981/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-03-2024 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेंगे, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने/ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि निम्नवत हैं-

- ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 28-06-2024
- शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 05-07-2024


जो अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित किये जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किये गये आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया (विज्ञापन का बिन्दु-3 अवलोकनीय) के अनुसार इस शुद्धि-पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

यदि इस शुद्धि-पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु विकल्प चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। आयोग द्वारा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के उपरान्त इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों व उनकी वरीयता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक- यथोपरि।







(अवनीश सक्सेना)

सचिव।



IS 15700:2018



योग्यता प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
(प्रशासन अनुभाग)

104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

भारतीय मानक बोर्ड

IS

भारतीय मानक बोर्ड  
Bureau of Indian Standards

SQMS

संख्या:

974 / प्रशा0-एक- 900/2016

दिनांक 20-6-2024

सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा-(1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपने अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) में बाई-सरकुलेशन की प्रक्रिया के तहत निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबऑर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) बाई-सरकुलेशन की प्रक्रिया के तहत भाग-4 के विनियम-9(i) में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

क्रम	पद	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1.	अवर अभियन्ता(सिविल)	"Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any board; and (ii) has working knowledge of Hindi.	Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto (as mentioned in Appendix Q) by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.
2.	अवर अभियन्ता(विद्युत)	"Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Electric Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.	Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Electric Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto (as mentioned in Appendix Q) by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.

3. अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इंजीनियरिंग(सिविल/विद्युत ओवरसियर्स) सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-9(i) में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

(डा० बलकार सिंह)

आवास आयुक्त

## APPENDIX-Q

(1) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

Civil and Rural Engineering  
Civil (SFS Mode)  
Civil Draftsman  
Civil Engineering  
Civil Engineering and Planning  
Civil Engineering (Building Services Engineering)  
Civil Engineering (Construction Technology)  
Civil Engineering (Construction)  
Civil Engineering (Rural Engineering)  
Civil Technology  
Construction Engineering  
Construction Technology  
Construction Technology and Management  
Geo informatics and Surveying Technology  
Geographic Information System and Global Positioning System  
Quantity Surveying and Construction Management  
Survey Engineering  
Transportation Engineering  
Civil and Environmental Engineering  
Civil (Public Health and Environment) Engineering  
Civil Engineering (Environment and Pollution control)  
Civil Engineering (Environmental Engineering )  
Civil Engineering (Public Health Engineering)  
Civil Environmental Engineering  
Environmental Engineering  
Water Resource Management  
Civil Engineering (Water Resource and Management)  
Water Technology and Health Science

(2) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

Electrical and Electronics (Power System)  
Electrical and Electronics Engineering  
Electrical and Instrumentation Engineering  
Electrical and Mechanical Engineering  
Electrical and Power Engineering  
Electrical Energy Systems  
Electrical Engineering (Instrumentation and Control)  
Electrical Engineering  
Electrical Engineering (Electronics and Power)  
Electrical Engineering (Industrial Control )  
Electrical Machines  
Electrical Power Systems  
Power Systems Engineering  
Electronics and Electrical Engineering

J

RR

L

SR